क्रम-संख्या—31 (ग–4)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

(14)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शनिवार, 3 फरवरी, 2001

माघ 14, 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग—2

संख्या 6/1/72-कार्मिक–2-2001

लखनऊ, 3 फरवरी, 2001

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०–3

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी-2/समूह "ख") सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों की नियुक्ति) नियमावली, 1980 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी–2/समूह "ख") सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों की नियुक्ति) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1)—यह नियमावली उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी–2/समूह "ख") सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों की नियुक्ति) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 कही जायेगी।

(2) यह 6 अगस्त, 1978 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी-2/समूह "ख") सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों की नियुक्ति) नियमावली, 1980 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है नियम 3 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये वर्तमान खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ख) "सैन्य वियोजित अधिकारी" का तात्पर्य संघ की सशस्त्र सेना के ऐसे निर्योग्य रक्षा सेवा अधिकारी, आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी से है जिन्हें–	(ख) "सैन्य वियोजित अधिकारी" का तात्पर्य संघ की सशस्त्र सेना के ऐसे निर्योग्य रक्षा सेवा अधिकारी, आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी से है जिन्हें–
(एक) 1 नवम्बर, 1962 को किन्तु 10 जनवरी, 1968 के पूर्व, या	1 नवम्बर, 1962 को या इसके पश्चात किन्तु 10 जनवरी, 1968 के पूर्व या 3 दिसम्बर, 1971 को या इसके पश्चात कमीशन मिला हो और तत्पश्चात किसी समय निर्मुक्त कर दिया गया हो।
(दो) 3 दिसम्बर, 1971 को, या	
(तीन) 10 जनवरी, 1968 को किन्तु 3 दिसम्बर, 1971 के पूर्व कमीशन मिला हो और जिन्होंने भारत-पाक युद्ध 1971 में भाग लिया और तत्पश्चात किसी समय निर्मुक्त कर दिया गया हो।	

नियम 4 का संशोधन

3—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-4 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
4–नियुक्ति–ऐसा व्यक्ति, जिसका सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति किसी अप्राविधिक श्रेणी-2 समूह "ख" सेवा या पद भर्ती के परिणामस्वरूप नियुक्ति के लिए चयन किया गया हो, जिसकी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी-2) सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1973 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार 19 अगस्त, 1980 के पूर्व समाप्त या प्रारम्भ हुई हो, उक्त नियमावली के अधीन सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होगा और उसके मामले पर विचार किया जायेगा:	4–नियुक्ति–ऐसा व्यक्ति, जिनका सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति किसी अप्राविधिक श्रेणी–2 समूह "ख" सेवा या पद भर्ती के परिणामस्वरूप नियुक्ति के लिए चयन किया गया हो, जिसकी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी-2) सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण) नियमावली, 1973 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के उपबन्धों के अनुसार 6 अगस्त, 1978 के पूर्व समाप्त या प्रारम्भ हुई हो, उक्त नियमावली के अधीन सैन्य वियोजित अधिकारियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होगा और उसके मामले पर विचार किया जायेगा:
परन्तु आरक्षित रिक्तियों का उपयोग प्रथमतः रक्षा सेवा के निर्योग्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए किया जायेगा, और यदि कोई ऐसी रिक्ति फिर भी बिना भरे बनी रहे तो वह अन्य आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।	परन्तु आरक्षित रिक्तियों का उपयोग प्रथमतः रक्षा सेवा के निर्योग्य अधिकारियों की नियुक्ति के लिए किया जायेगा, और यदि कोई ऐसी रिक्ति फिर भी बिना भरे बनी रहे तो वह अन्य आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उपलब्ध कराई जायेगी।
स्पष्टीकरण–आयोग द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना या उनका विज्ञापन अन्य बातों के साथ-साथ इस नियम के अर्थान्तर्गत भर्ती की एक प्रक्रिया होगी।	स्पष्टीकरण–आयोग द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना या उनका विज्ञापन अन्य बातों के साथ-साथ इस नियम के अर्थान्तर्गत भर्ती की एक प्रक्रिया होगी।

नियम 5 का संशोधन

4—उक्त नियमावली में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप-नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उप-नियम	**एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम**
5-ज्येष्ठता और वेतन—(1) उक्त नियमावली में निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रति नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता और उनका वेतन इस धारणा पर अवधारित किया जायेगा कि वे सम्बद्ध सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता के दूसरे अवसर पर प्रविष्ट हुए थे और उन्हें आवंटन का वही वर्ष समनुदेशित किया जायेगा, जो संगत प्रतियोगिता परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को किया जाए :	5-ज्येष्ठता और वेतन—(1) उक्त नियमावली में निर्दिष्ट रिक्तियों के प्रति नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता और उनका वेतन इस धारणा पर अवधारित किया जायेगा कि वे सम्बद्ध सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता के दूसरे अवसर पर प्रविष्ट हुए थे और उन्हें आवंटन का वही वर्ष समनुदेशित किया जायेगा, जो संगत प्रतियोगिता परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को किया जाए :
परन्तु किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे अपना कमीशन प्राप्त करने के पूर्व प्रशिक्षण में उसके सम्मिलित होने के दिनांक से पहले दो अवसर मिले हों चाहे उसने ऐसे किसी अवसर का वस्तुतः उपयोग किया या नहीं, आवंटन का वही वर्ष समनुदेशित किया जायेगा जो उक्त दिनांक के पश्चात् आयोजित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को किया जाय :	परन्तु किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे अपना कमीशन प्राप्त करने के पूर्व प्रशिक्षण में उसके सम्मिलित होने के दिनांक से पहले दो अवसर मिले हों, चाहे उसने ऐसे किसी अवसर का वस्तुतः उपयोग किया या नहीं, आवंटन का वही वर्ष समनुदेशित किया जायेगा जो उक्त दिनांक के पश्चात् आयोजित अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को किया जाय।
	स्पष्टीकरण—किसी अभ्यर्थी के द्वितीय अवसर के वर्ष का अवधारण सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता के निमित्त विहित न्यूनतम आयु के सम्बन्ध में उनके जन्म के दिनांक से किया जायेगा :
परन्तु यह और कि जब किसी अभ्यर्थी को नियम-3 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निर्मुक्ति के तीन वर्ष के अधिक समय के पश्चात भर्ती किया गया हो तो उसकी ज्येष्ठता और वेतन के प्रयोजन के लिए जमा होने वाली कुल अवधि आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी या विशेष अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में उसके कमीशन प्राप्त करने और निर्मुक्ति के दिनांकों के बीच उसे अनुमन्य अवधि के अतिरिक्त तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। वह किसी अन्य नियमित अभ्यर्थी की भांति भर्ती और तैनाती के बीच की अवधि का लाभ प्राप्त करेगा :	परन्तु यह और कि जब किसी अभ्यर्थी को नियम-3 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निर्मुक्ति के तीन वर्ष के अधिक समय के पश्चात भर्ती किया गया हो तो उसकी ज्येष्ठता और वेतन के प्रयोजन के लिए जमा होने वाली कुल अवधि आपात कमीशन प्राप्त अधिकारी, अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी या विशेष अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में उसके कमीशन प्राप्त करने और निर्मुक्ति के दिनांकों के बीच उसे अनुमन्य अवधि के अतिरिक्त तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। वह किसी अन्य नियमित अभ्यर्थी की भांति भर्ती और तैनाती के बीच की अवधि का लाभ प्राप्त करेगा।
परन्तु यह और भी कि नियम 3 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (तीन) के अधीन दी गई सैन्य वियोजित अधिकारी की ज्येष्ठता, सिविल अपील संख्या 354 सन् 1994, राम जनम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में दिये गये उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25 जनवरी, 1994 या उत्तर प्रदेश अप्राविधिक (श्रेणी 2/समूह "ख") सेवा (सैन्य वियोजित अधिकारियों की नियुक्ति) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000 के सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक के पूर्व किसी न्यायालय या	

स्तम्भ–1 वर्तमान उप-नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
प्राधिकरण द्वारा किसी मामले में दी गई डिक्री या आदेश में अवधारित या अवधारित किये जाने के लिए अपेक्षित, व्यक्तियों की ज्येष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अवधारित की जायेगी। स्पष्टीकरण–किसी अभ्यर्थी के द्वितीय अवसर के वर्ष का अवधारण सेवा में भर्ती के लिए उपयोगिता के निमित्त विहित न्यूनतम आयु के संबंध में उसके जन्म के दिनांक से किया जाएगा।	

आज्ञा से,
प्रदीप शुक्ला,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 6/1/72-Karmik-2-2001, dated February 3, 2001:

No. 6/1/72-Karmik-2-2001

Dated Lucknow, February 3, 2001

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Non-Technical (Class II/Group 'B') Services (Appointment of Demobilised Officers) Rules, 1980.

THE UTTAR PRADESH NON-TECHNICAL (CLASS II/GROUP 'B') SERVICES (APPOINTMENT OF DEMOBILISED OFFICERS) (THIRD AMENDMENT) RULES, 2001

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Non-Technical (Class II/Group 'B') Services (Appointment of Demobilised Officers) (Third Amendment) Rules, 2001.

(2) They shall be deemed to have come into force on August 6, 1978.

Amendment of Rule 3

2. In the Uttar Pradesh Non-Technical (Class II/Group 'B') Services (Appointment of Demobilised Officers) Rules, 1980, hereinafter referred to as the said rules, in rule 3, *for* existing clause *(b)* set out in Column 1 below, the clause as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:—

COLUMN-1 *Existing Clause*	COLUMN-2 *Clause as hereby substituted*
(b) "Demobilised Officer"means Disabled Defence Service Officer, Emergency Commissioned Officer and the Short Service Commissioned officer, of the Armed Forces of the Union who was commissioned on or after:— *(i)* November 1, 1962, but before January 10, 1968; or *(ii)* December 3, 1971; or	*(b)* "Demobilised Officer"means Disabled Defence Service Officer, Emergency Commissioned Officer and the Short Service Commissioned Officer, of the Armed Forces of the Union who was commissioned on or after November 1, 1962, but before January 10, 1968 or on or after December 3, 1971 and released at any time thereafter.

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Clause	*Clause as hereby substituted*
(iii) January 10, 1968 but before December 3, 1971 and who participated in Indo-Pak War 1971; and released at any time there after.	

Amendment of Rule 4

3. In the said rules, *for* existing rule 4 set out in Column 1 below, the rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:—

COLUMN-1	COLUMN-2
Existing Rule	*Rule as hereby substituted*
4.Appointment–A person selected for appointment to a non-technical class II/Group 'B' service or post, against the vacancies reserved for Demobilised Officers, as a result of recruitment, the process or which was concluded or commenced prior to August 19, 1980, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Non-Technical (Class-II) Service Reservation of Vacancies for Demobilised Officers Rules, 1973 (hereinafter referred to as the said rules), shall be eligible and be considered for appointment against the vacancies reserved Demobilised Officers under the said rules :	**4.Appointment**–A person selected for appointment to a non-technical class II/Group 'B' service or post, against the vacancies reserved for Demobilised Officers, as a result of recruitment, the process of which was concluded or commenced prior to August 6, 1978, in accordance with the provi-sions of the Uttar Pradesh Non-Technical (Class-II) Service Reservation of Vacancies for Demobilised Officers Rules, 1973 (hereinafter to be referred to as the said rules), shall be eligible to be considered for appointment against the vacancies reserved for Demobilised Officers under the said rules :
Provided that the reserved vacancies shall be utilised first for the appointment of Disabled Defence Service Officers, and, if any such vacancies still remain unfilled the same shall then be made available to other Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers.	Provided that the reserved vacancies shall be utilised first for the appointment of Disabled Defence Service Officers, and, if any such vacancies still remain unfilled the same shall then be made available to other Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers.
Explanation :—The notification of vacancies or the advertisement thereof by the Commission shall, among other be process of recruitment within the meaning of this rule.	*Explanation* :—The notification of vacancies or the advertisement thereof by the Commission shall, among other, be a process of recruitment within the meaning of this rule.

Amendment of Rule 5

4. In the said rules, in rule 5, *for* existing sub-rule (1) set out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2 shall be *substituted*, namely:—

COLUMN-2	COLUMN-2
Existing Sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
5. Seniority and pay—(1) Seniority and pay of persons appointed against the vacancies referred to in the said rules, shall be determined on the assumption that they entered the service concerned at the second opportunity of competing for recruitment, and they shall be assigned the same year of allotment as successful candidates of the relevant competitive examination :	5. Seniority and pay—(1) Seniority and pay of persons appointed against the vacancies referred to in the said rules, shall be determined on the assumption that they entered the service concerned at the second opportunity of competing for recruitment, and they shall be assigned the same year of allotment as successful candidates of the relevant competitive examination :

COLUMN-2	COLUMN-2
Existing Sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
Provided that any such candidate who had two opportunities before the date of his joining the training prior to his commission, whether he actually availed any such opportunities or not, shall be assigned the same year of allotment as successful candidates of the first competitive examination held after the said date:	Provided that any such candidate who had two opportunities before the date of his joining the training prior to his commission, whether he actually availed any such opportunities or not, shall be assigned the same year of allotment as successful candidates of the first competitive examination held after the said date. *Explanations:*—The year of candidate's second opportunity will be determined by the date of his birth in relation to the prescribed minimum age for competing for recruitment to the service:
Provided further that where a candidate has been recruited more than three years after his release referred to in clause *(b)* of rule 3, the total period of credit for the purposes of his seniority and pay shall not exceed three years in addition to the periods admissible to him between the dates of commission and release whether as Emergency Commissioned Officer, Short Service Commissioned Officer or Special Short Service Commissioned Officer. He shall get the benefit of the period between recruitment and posting like any other regular candidate:	Provided further that where a candidate has been recruited more than three years after his release referred to in clause *(b)* of rule 3, the total period of credit for the purposes of his seniority and pay shall not exceed three years in addition to the periods admissible to him between the dates of commission and release whether as Emergency Commissioned Officer, Short Service Commissioned Officer or Special Short Service Commissioned Officer. He shall get the benefit of the period between recruitment and posting like any other regular candidate.
Provided also that seniority of a Demobilised Officers covered under sub-clause (III) of clause *(b)* of rule 3 shall be determined without prejudice to the seniority, of persons, determined or required to be determined under the judgement and order dated January 25, 1994, of the Supreme Court rendered in Civil Appeal no. 354 of 1994, Ram Janam Singh *Vs.* State of Uttar Pradesh and another or under any other judgement, decree or order of Court of Tribunal rendered in any other case prior to the date of publication of the Uttar Pradesh Non-Technical (Class II/Group 'B') Services (Appointment of Demobilised Officers) (Second Amendment) Rules, 2000 in the official *Gazette.*	

COLUMN-2	COLUMN-2
Existing Sub-rule	*Sub-rule as hereby substituted*
Explanation:—The year of candidate's second opportunity will be determined by the date of his birth in relation to the prescribed minimum age for competing for recruitment to the service.	

By order,
PRADEEP SHUKLA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 41 सा० नियुक्ति—23—3—2010—(2636)—1000 प्रतियां (क० / टी० / ऑफसेट)।